परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक/प्र.अ.एफ./त्रि./2007/467 भोपाल,दिनांक 23.06.200

प्रति,

1– अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय भोपाल ।

2– प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

मंथन समूह में शिक्षा से संबंधित समूह अनुशंसा की है कि मध्यान्ह भोजन कार्य स्व–सहायता समूह को सौंपा जाये तथा शिक्षा को व्यवस्था संबंधी दायित्वों यथा खाद्य सामग्री इत्यादि लेने के कार्य से मुक्त किया जाये । शिक्षा विभाग इस अनुशंसा से सहमत है । वर्तमान में मध्यान्ह भोजन हेतु राशि सीधे संभागीय शिक्षक संघ के खाते में जमा की जाती है तथा इस राशि को निकालने एवं खाद्यान्न आदि की व्यवस्था करने का दायित्व शिक्षक संघ पर आता है । शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो इसलिये आवश्यक है कि शिक्षक अपना संपूर्ण समय पठन–पाठन एवं शैक्षणिक कार्य में लगाये ।

अतः विभाग का मत है कि शिक्षकों को मध्यान्ह भोजन कार्य की व्यवस्था से मुक्त किया जाये ।

चूंकि मध्यान्ह भोजन कार्य के प्रशासकीय विभाग ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय कल्याण विभाग है, अतः आपसे आग्रह है कि मध्यान्ह भोजन का कार्य स्व–सहायता समूह एवं ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों को सौंपने हेतु अनुरोध है कि तत्संबंध में आदेश जारी करने का कष्ट करें ।

(आई. एस. दाणी)
प्रमुख सचिव
स्कूलशिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक/प्र.अ.एफ./त्री./2007/468 भोपाल,दिनांक 23.06.200

प्रतिलिपिः–

प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल को मंथन 2007 की अनुशंसाओं के संबंध में ।

आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र को सूचनार्थ ।

प्रमुख सचिव
स्कूलशिक्षा विभाग